JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH

An Internationally Indexed Peer Reviewed & Refereed Journal

www.JLPER.com

Published by iSaRa Solutions

अध्यापक शिक्षा का निजीकरण : आवश्यकता या विवशता

डॉ0 ललित कुमार आर्य
पूर्व सीनियर एकेडमिक फैलो, आईसीएचआर, नई दिल्ली
प्रो0 जे0एस0 भारद्वाज
पूर्व विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सारांशः प्रस्तुत शोध पत्र में अध्यापक शिक्षा का निजीकरण आवश्यकता अथवा विवशता के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया है। उच्च षिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2022 में देष में 1000 से अधिक विष्वविद्यालय एवं 43,000 से अधिक कॉलेज हैं जिनमें लगभग 37 करोड़ छात्र–छात्राएँ अध्यनरत है। किन्तु यदि इस भीड़ में अपने–अपने विषय का समुचित, आधिकारिक ज्ञान रखने वाले विद्यार्थियों की पहचान की जाए तो उनकी संख्या शायद 10 प्रतिषत भी न निकले। अतः कहा जा सकता है कि षिक्षा के निजीकरण के दुष्प्रभाव षिक्षक षिक्षा के क्षेत्र में सामने आने लगे हैं। अध्यापक षिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित संस्थाओं को अनुमति देने के परिणामस्वरूप विगत 7–8 वर्षो में षिक्षक षिक्षा में स्व–वित्तपोषित संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है। अध्यापक षिक्षा की वित्तीय चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च षिक्षा का निजीकरण किया जाना व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होता है। किन्तु यदि निजीकरण के नाम पर षिक्षा का व्यवसायीकरण होने लगे तो निजीकरण एक अभिषाप ही सिद्ध होगा।

निजीकरण से तात्पर्य राज्य से हटकर किसी उपक्रम, योजना या नीति को नियन्त्रण या दायित्व प्रदान करना है। स्ववित्त–पोषण की अवधारणा से तात्पर्य जो व्यक्ति षिक्षा प्राप्त करे वही उसका मूल्य अदा करे अर्थात् अर्थषास्त्र की भाषा में जो व्यक्ति वस्तु का उपभोग करेगा, वही उसका मूल्य भी चुकाएगा। उदारीकरण नियम एवं कानून के तहत सरकार द्वारा दी गई ढील की प्रक्रिया को कहते हैं। व्यवसायीकरण का आषय लाभ प्राप्ति के उद्देष्य से शोषण करने की कहते हैं। कैपिटेषन शुल्क महाविद्यालय से तात्पर्य ऐसे संस्थान से है जो राज्य द्वारा संचालित होने के साथ राज्य द्वारा प्रदत्त वित्त पर विष्वास न करके उच्च शुल्क प्राप्त करते हैं। स्व–वित्तपोषित का अर्थ है किसी भी संस्थान के लिए स्वयं के संसाधनों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करना। जो संस्थाएं स्वयं के आर्थिक प्रयासों के परिणामस्वरूप विकसित है, स्व–वित्तपोषित संस्थाएँ कहलाती हैं। सरकारी नीतियों के परिणामस्वरूप इनका जन्म हुआ और निजी हाथों में जाने के कारण अनेक विवादों का प्रादुर्भाव हुआ।

अध्यापक षिक्षा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का एक सषक्त माध्यम है। मानव संसाधनों के विकास की दृष्टि से उच्च षिक्षा की भूमिका सर्वोपरि है। किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के विगत 60 वर्षो में देष में उच्च षिक्षा की विकास यात्रा पर दृष्टिपात किया जाए तो हम पाते हैं कि देष में उच्च षिक्षा का मात्रात्मक प्रसार तो काफी हुआ है किन्तु उच्च षिक्षा की

गुणात्मकता में निरन्तर कमी आई है। उच्च षिक्षा के क्षेत्र में वर्ष 2022 में देष में 1000 से अधिक विष्वविद्यालय एवं 43,000 से अधिक कॉलेज हैं जिनमें लगभग 37 करोड़ छात्र–छात्राएँ अध्यनरत है। किन्तु यदि इस भीड़ में अपने–अपने विषय का समुचित, आधिकारिक ज्ञान रखने वाले विद्यार्थियों की पहचान की जाए तो उनकी संख्या शायद 10 प्रतिषत भी न निकले। विद्यार्थियों में पढ़ने की ललक और षिक्षकों में पढ़ाने की इच्छा दिनों–दिन कम हुई है। वस्तुतः उच्च षिक्षा देष की वर्तमान एवं भावी आवष्यकताओं को पूरा करने में असफल रही है।

विश्वविद्यालयों व अध्यापक षिक्षा संस्थाओं के अनुदान में कटौती, उदारीकरण की प्रक्रिया, निजी क्षेत्र को महत्व, षिक्षा को 'नॉन मेरिट गुड्स' की श्रेणी में रखना तथा प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति (24 अप्रैल 2000) द्वारा **'ए पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रिफार्म एन एजूकेषन' में** निजीकरण आदि पर जोर दिया गया।

मूल्य का विचार मानव को स्वतः उस जीवन दृष्टि की ओर ले जाता है जो यह देखती है कि जीवन जीने के लिए क्या महत्वपूर्ण है, जो यह देखती है कि व्यक्ति और समाज के लिए क्या कल्याणकारी है। प्रो0 अरबन ने अपनी पुस्तक 'फंडामेंटल ऑफ ऐथिक्स' में लिखा है कि मूल्य वह है जो मानव इच्छा की तृप्ति करे, जो व्यक्ति एवं जाति संरक्षण में सहायक हो। अन्त में वे कहते हैं कि केवल वहीं परम् रूप एवं साध्य रूप में मूल्यवान है जो आत्माओं के विकास या आत्म–साक्षात्कार की ओर ले जाए। इस परिभाषा में मानव की जैविक से लेकर आध्यात्मिक तक सभी आवष्यकताओं का समावेष हो जाता है जिनका मानव जीवन के लिए महत्व है एवं जिनके पाने के लिए वे जीवित रहते हैं और बड़े से बड़ा त्याग करते हैं। डॉ0 राम शकल पाण्डेय मूल्य की परिभाषा करते हुए कहते हैं–''मूल्य ऐसी आचरण संहिता या सद्गुण है जिससे व्यक्ति अपने निष्चित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अपनी जीवन पद्धति का निर्माण करता है तथा अपने व्यक्तित्व का विकास करता है।'' इसमें मनुष्य की धारणाएँ, विचार, विष्वास, मनोवृत्ति, आस्ता आदि समाहित है। ये मानव मूल्य एक और व्यक्ति के अन्तःकरण द्वारा नियन्त्रित होते हैं तो दूसरी ओर उसकी संस्कृति एवं परम्परा द्वारा क्रमषः निससृत एवं परिपोषित होते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि मूल्य मनुष्य के अन्तरतम में जगती हुई वह शक्ति है जो उसे एक विषिष्ट प्रकार से कर्म करने को प्रेरित करती है और उसके आचरण को शासित करती है। कनिंधम (ब्नदपदहींउ) के अनुसार– ''षिक्षाषास्त्रीय साहित्य में शैक्षिक मूल्य की षिक्षा के उद्देष्य होते हैं और उद्देष्य के अनुकूल ही व्यक्ति वह गुण, आदत, क्षमता, योग्यता आदि प्राप्त करता है जिनमें जीवन में मूल्य निहित है। इस सम्बन्ध में ब्रूबेकर महोदय कर कथन है कि ''षिक्षा के उद्देष्यों को निर्धारित करना शैक्षिक उद्देष्या को निर्धारित करना है।'' इस प्रकार कहा जा सकता है कि शैक्षिक मूल्य षिक्षा की उस एकता, उपयोगिता एवं उद्देष्य की ओर संकेत करते हैं जो षिक्षक एवं षिक्षार्थी को, षिक्षार्थी के आत्म–साक्षात्कार एवं अभीष्ट विकास हेतु अध्ययन कार्य में लगे रहने की प्ररेणा देते हैं। मूल्यों के आधार पर ही मनुष्य अपने जीवन दृष्टिकोण को बनाता है। मूल्य ही मानव जीवन को अर्थ, उच्चता एवं

श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। मानव न्याय, प्रेम, ईमानदारी, समर्पण त्याग, सहानुभूति सत्यम षिवम् सुन्दरम् मित्रता आदि की उचित एवं कारणीय मानता है। यही उसके जीवन के आदर्ष बन जाते हैं जिसे एक अध्यापक शैक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से अपने छात्रों में हस्तान्तरिक करने की चेष्टा करता है।

मूल्य एवं अध्यापक षिक्षा

यदि मूल्यों को षिक्षा का आधार बनाना है तो आवष्यक होगा कि अध्यापक षिक्षा में मूल्यों को यथोचित महत्व देते हुए ऐसे कार्यक्रमों की आयोजना का प्रारूप नियोजित किया जाए जिससे विभिन्न पाठ्यचर्या एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से स्वाभाविक रूप से मूल्यों के प्रभाव से बालकों के विचारो एवं व्यवहारों में परिवर्तन एवं परिवर्धन स्पष्ट रूप से लक्षित होने लगे।

मूल्य निर्धारित षिक्षा के सम्बन्ध में एक वर्किंग ग्रुप ने षिक्षकों के प्रषिक्षण के सम्बन्ध में सन् 1983 में अपनी आख्या प्रस्तुत की। यह वर्किंग ग्रुप षिक्षा मन्त्रालय द्वारा श्री कीरत जोषी की अध्यक्षता में नियुक्त हुआ था। इसके अनुसार मूल्य निर्धारित षिक्षा को अनिवार्य रूप से ऐसी षिक्षा समझना चाहिए जो शोभनीय एवं आत्म–उन्नति की ओर होगी। यह न केवल मूल्यों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करेगी वरन् उनके व्यक्तित्व को विकसित करने की ओर भी होगी और संकीर्णता, स्वार्थता तथा अधकचरे विचारों एवं अभिवृत्तियों से ऊपर उठाएगी। मूल्यों का निर्धारण करना ऐसी षिक्षा में मुख्य लक्ष्य होगा। ऐसी षिक्षा नैतिक तथा अध्यात्मिक मं विभेद को स्पष्ट करेगी और अध्यात्मिक तथा धार्मिक में क्या अन्तर है इसकी व्याख्या करेगी।

सन् 1964–1966 में कोठारी कमीषन ने भी षिक्षा एवं राष्ट्रीय उद्देष्यों के सम्बन्ध में सामाजिक नैतिक तथा अध्यात्मिक मूल्यों पर बल दिया है। यह रिपोर्ट सिफारिष करती है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जोकि नैतिक, सामाजिक एवं अध्यात्मिक मूल्यों की षिक्षा को सभी विद्यालयों में जो उनके सीधे नियन्त्रण में हैं, प्रवेष कराएँ। ऐसी षिक्षा विष्वविद्यालय षिक्षा कमीषन की धार्मिक तथा नैतिक षिक्षा सम्बन्धी सिफारिषों के अनुरूप होनी चाहिए। यह कमीषन यह भी सिफारिष करता है तो इस प्रकार के मूल्यों की षिक्षा का विद्यालय के कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होने के साथ–साथ यह भी करना चाहिए कि समय सारिणी में कुछ घंटे मूल्यों की षिक्षा के लिए अलग से रख दिए जाएँ।

राष्ट्रीय षिक्षा नीति में रिव्यू के लिए एक समिति आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में बनाई गई। इसके द्वारा मूल्य षिक्षा के सम्बन्ध में जो मुख्य सिफारिषें की गईं वे निम्नलिखित हैंः–

1. जनजन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समाजवाद, वैज्ञानिक स्वभाव, स्त्री–पुरूष समता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, शौर्य, न्याय तथा जीवों का आदर, विभिन्न संस्कृतियाँ एवं

भाषाएँ (जनजाति की भी) आदि मूल्यों का वर्णन करते हैं जो कि राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के लिए अनिवार्य है। षिक्षा की पाठ्य सामग्री तथा प्रक्रिया सब इन मूल मूल्यों से व्यापक ढंग से आकारित होनी चाहिए।

2. मूल्य षिक्षा प्रदान करना सम्पूर्ण षिक्षा प्रक्रिया तथा विद्यालय वातावरण का अन्तरंग भाग होना चाहिए। कहानियाँ सुनाना जिनमें लोक कथाएँ शामिल हों जो साहसपूर्ण घटनाओं को प्रदर्षित करती हो तथा महान व्यक्तियों की शहादत और सर्वोच्च आत्म बलिदान की गाथाएँ सुनाती हैं, ऐसे व्यक्तियों की हो जो विभिन्न धर्म तथा स्थान से सम्बन्धित हो।

3. दक्षता से मूल्यों को ग्रहण करना चाहिए जिससे व्यक्ति के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो सके।

देष के दो शीर्ष उद्योगपतियों श्री मुकेष अम्बानी और श्री कुमार मंगलम् बिड़ला द्वारा व्यापार और उद्योग पर गठित प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद को **'ए पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रिफार्म एन एजूकेषन'** नाम से 24 अप्रैल 2000 को प्रस्तुत रिपोर्ट में उच्च षिक्षा के निजीकरण की पुरजोर वकालत करते हुए उच्च षिक्षा को दी जा रही सब्सिडी में कटौती कर इसकी भरपाई फीस बढ़ाकर करने की सिफारिष की गई। इस विषेष अध्ययन दल के विचार में उच्च षिक्षा से जन सामान्य को लाभ न पहुँचकर कुछ विषेष लोगों को ही लाभ पहुँचता है। इसलिए इस पर होने वाला व्यय छात्र द्वारा ही वहन किया जाना चाहिए। सरकार को उच्च षिक्षा के क्षेत्र में अपनी भूमिका सीमित कर निजीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने निजी विष्वविद्यालय विधेयक लाने और विष्वविद्यलायों से बाजार की आवष्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा। उनके अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक षिक्षा का केन्द्रीय उत्तरदायित्व सरकार का है जबकि उच्च षिक्षा को निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट षिक्षा को लागत और लाभ के सिद्धानत पर आधारित करती हुई बाजार आधारित षिक्षा प्रणाली की वकालत करती है। यह उच्च षिक्षा को देषी–विदेषी पूँजी निवेष के लिए खोलकर बाजार बनाने पर बल देती है। रिपोर्ट में विष्वविद्यालयों की महँगी फीस का भुगतान करने के लिए विद्यार्थियों के लिए ऋण देने का प्रावधान और ऋण वसूलने वाली एजेन्सी की व्यवस्था की सिफारिष भी की जाती है। किन्तु विष्वविद्यालय से पढ़कर निकले छात्र को रोजगार की कोई गारन्टी नहीं दी गई है। अतः ऋण में डूबा और रोजगार की तलाष में भटकता छात्र इस ऋण को चुकाने के लिए धन कहाँ से लाएगा? इस प्रष्न पर उत्तर रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं है।

उच्च षिक्षा की वित्तीय चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च षिक्षा का निजीकरण किया जाना व्यवहारिक दृष्टिकोण से उचित प्रतीत होता है। किन्तु यदि निजीकरण के नाम पर षिक्षा का व्यवसायीकरण होने लगे तो निजीकरण एक अभिषाप ही सिद्ध होगा। निजीकरण के विषय में षिक्षा जगत से जुडे लोगों की सामान्य धारणा यही है कि निजीकरण पर चलने वाले षिक्षा केन्द्र मात्र अपने लाभ के लिए कार्य करेगें और राष्ट्रीय की अनदेखी होगी। निजीकरण के चलते निजी षिक्षा संस्थानों की बाढ़ आ जाएगी किन्तु उच्च षिक्षा आम व्यक्ति की पहुच से दूर होती चली जाएगी। उच्च षिक्षा ऊँची फीस दे सकने वाले साधन सम्पन्न लोगों तक ही सीमित होकर रह जाएग। उच्च षिक्षा के लिए अनुदानों को समाप्त करने और षिक्षा सम्बन्धी फैसलों को बाजार की शक्तियों के रहमोकरम पर छोड़ने का परिणाम यह होगा कि शैक्षिक पूँजी के वितरण और इस कारण आय के वितरण की असमानताएँ बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में जनता के अधिक उन्नत वर्ग ही बाजारी शक्तियों से उत्पन्न शैक्षिक अवसरों का लाभ उठा सकेंगे जिससे शैक्षिक विषमताएँ और बढ़ेंगी। यह सभी स्तरों पर सभी को षिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के राज्य के संवैधानिक उत्तरदायित्व के विरीत होगा। निःसन्देह इससे कल्याणकारी, लोकतान्त्रिक, समाजवादी राज्य की भूमिका प्रष्नों के घेरे में आ जाएगी।

निष्कर्ष

षिक्षा के निजीकरण के दुष्प्रभाव षिक्षक षिक्षा के क्षेत्र में सामने आने लगे हैं। षिक्षक षिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित संस्थाओं को अनुमति देने के परिणामस्वरूप विगत 7–8 वर्षो में षिक्षक षिक्षा में स्व–वित्तपोषित संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है। इन संस्थाओं के प्रवेष में धाँधली, शुल्क की असीमित और सौदेबाजी के आधार पर वसूली, स्टॉफ की नियुक्ति में अनियमित्ताएं आदि दिखाई देने लगी हैं। इस कारण षिक्षक षिक्षा में गुणात्मक सुधार का उद्देष्य कहीं पीछे छूटता प्रतीत होने लगा है।

सन्दर्भ

1. Agrawal, Raj (2004), Privatization in the Context of Globlization, WTO and GATS in Indian Services, University News, Vol.42 (07), 16-22pp.
2. AIU, (2004), GATS and Implication on Higher Education, University News, Vol. 43 (06), 7-13pp
3. NIEPA, (2001), Trade in Education Service under WTO Regime-An Indian Response. National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi.
4. Singh, M.Kumar (2006) Challenges of Globlization on Indian Higher Education, University News, Vol.44 (19), 8-14 pp.

5. World Bank (2000), Higher Education Developing Countries: Peril and promise, www.worldbank.org.

6. थोराट, एस. (2007, मई), पहुँच और गुणवत्ता पर उठते सवाल, योजना, पेज 17–19 |

7. राघव, वि. सिंह (2004, सितम्बर), भारत में उच्च षिक्षा पर व्ययः एक दृष्टि, कुरूक्षेत्र, पेज 15–20

JOURNAL OF LEGAL STUDIES, POLITICS AND ECONOMICS RESEARCH